

राजस्थान सरकार
कर्मिक(क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.5(51)डीओपी/ए-11/ 88 पार्ट/22568

जयपुर, दिनांक: 18 AUG 2026

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के अश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के अश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के अश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) "अश्रित" से अभिप्रेत है,-

(i) पति या पत्नी, या

(ii) पुत्र, जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, या

(iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पुत्री, जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है, या

(iv) पुत्रवधु, यदि मृत सरकारी कर्मचारी का, उपरोक्त उपखण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित कोई अन्य अश्रित उपलब्ध न हो, या

(v) विवाहित पुत्री, यदि मृत सरकारी कर्मचारी का, उपरोक्त उपखंड (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित कोई अन्य अश्रित उपलब्ध न हो, या

(vi) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः अश्रित था।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(डॉ. मुकुट बिहारी जगिड़)

संयुक्त शासन सचिव

22/2026